रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

(32)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072021-228198
CG-DL-E-09072021-228198

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2021/आषाढ़ 18, 1943
No. 387] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2021/ASHADHA 18, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च , 2021

सा.का.नि. 485(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय , स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (सिपाही) भर्ती नियम, 2018, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, (सिपाही) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय , स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (सिपाही) भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची में, -

   (i) स्तंभ (6) में, अंक “25” के स्थान पर अंक “23” रखा जाएगा;

   (ii) स्तंभ (7) में, शीर्षक ‘शारीरिक दक्षता परीक्षण’ के अधीन, -

   (क) उप-शीर्षक ‘पुरुष अभ्यर्थी’ के अधीन प्रविष्टियां “(ख)” और “(ग)” का लोप किया जाएगा।

   (ख) उप-शीर्षक ‘महिला अभ्यर्थी’ के अधीन प्रविष्टियां “(ख)” और “(ग)” का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. I-12014/40/2017-एनसीबी-II]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम राजपत्र में 24 मई 2018 को प्रकाशित की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 477(अ), दिनांक 17 मई , 2018 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप.-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2021

G.S.R. 485(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau (Sepoy) Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau (Sepoy) Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

   (2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau (Sepoy) Recruitment Rules, 2018, in the schedule,-

   (i) in column(6), for the figures "25", the figures "23" shall be substituted;

   (ii) in column (7), under the heading 'The Physical Efficiency Test',-

      (a) under sub-heading 'Male Candidates', entries "(b)" and "(c)" shall be omitted;

      (b) under sub-heading 'Female Candidates', entries "(b)" and "(c)" shall be omitted.

[F. No. I-12014/40/2017-NCB-II]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 477(E), dated the 17th May, 2018, published in the official Gazette on the 24th May, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

(130)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ज्येष्ठ 3, 1940
No. 335] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/JYAISTHA 3, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

सा.का.नि. 477(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो सिपाही भर्ती नियम, 2010 का अधिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में सिपाही के पद पर तैनाती प्रक्रिया को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (सिपाही) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.**–उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, और अन्य अर्हताएं, आदि.**–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी

(129)

6. **व्यावृत्ति.**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिपाही	245* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	लेवल–1 (रु. 18000–56900)	लागू नहीं होता	18–25 वर्ष । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
अनिवार्यः किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष उत्तीर्ण शारीरिक मानः **ऊँचाई :** पुरूष अभ्यर्थियों के लिए – 170 से.मी. महिला अभ्यर्थियों के लिए– 157 से.मी. **सीनाः** पुरूष अभ्यर्थियों के लिए– बिना फुलाए –80 से.मी. फुलाने पर–5 से.मी. का फैलाव **नोट**– महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने संबंधी न्यूनतम अनिवार्यता नहीं है। **वजन :** पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए : चिकित्सा मानकों के अनुसार आयु और लम्बाई के यथानुपात **चिकित्सा मान :** 1. दृष्टि : न्यूनतम दूर दृष्टि 6/6 और चश्मे सहित या चश्मे के बिना दोनों ऑख 6/9 की होनी चाहिए। 2. अभ्यर्थियों की संहत जानु, चपटा पॉव, धनुषाकार टांगें, फूली हुई नसें, भैंगी ऑखों वाला, शरीर के कोई भाग का नाश नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृष्टि वाला होना चाहिए।	शैक्षिक अर्हताएं और चिकित्सा मान लागू होते हैं। आयु–सीमा चालीस वर्ष होगी।	दो वर्ष।

(128)

3. उन्हें अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कर्तव्यों के दक्षता पूर्ण पालन करने में बाधा आने की संभावना हो । **शारीरिक दक्षता परीक्षण :** पुरूष अभ्यर्थियों के लिए – (क) 24 मिनटों के अंदर पांच किलोमीटर की दौड़ पूरी करना (ख) 11 फीट लंबी कूद(तीन मौके दिए जाएंगे) (ग)3–1/2फीट ऊंची कूद (तीन मौके दिए जाएंगे). **महिला अभ्यर्थियों के लिए –** (क) 8.3 मिनटों में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना (ख) 9 फीट की लंबी कूद(तीन मौके दिए जाएंगे) (ग) 3 फीट की ऊंची कूद (तीन मौके दिए जाएंगे). (I) गढ़वाली, कुमाऊंनी, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 165 से.मी. होगी। महिलाओं के लिए, न्यूनतम ऊँचाई 155 से.मी. होगी। जनजातियों से संबंध रखने वाले पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 162.5 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 150सें.मी. होगी । (II) सीना –सीने में शिथिलता जनजातियों और केवल पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी । इस श्रेणी के कार्मिकों के लिए सीने का न्यूनतम माप निम्न होगा– 1. उपरोक्त विनिर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित पुरूषों के लिए 78–83 सें.मी. होगा। 2. सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जनजातियां : 76–81 सें.मी. उपर्युक्त उल्लिखित दक्षता मानदंडों को किसी भी प्रकार से शिथिल करने की शक्ति महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के पास होगी। **नोट**–शारीरिक और चिकित्सा मानक केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के लिए भारत सरकार के विहित अनुदशों के अनुरूप हैं।		

भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा भूतपूर्व सैनिक के पुनर्नियोजन द्वारा, 15 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, और 5 प्रतिशत वेतन मैट्रिक्स रु. 18000–56900 में पात्र समूह –'ग' कर्मचारियों में से री–मस्टरिंग द्वारा ।	**री–मस्टरिंग** : स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के समूह–'ग' कर्मचारी जो रु. 18000 – 56900 के वेतन मैट्रिक्स में लेवल–1 मेंहों और जिनकी न्यूनतम सेवा तीन वर्ष की हो। **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के कार्मिक जिन्होंने इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो **अथवा** भूतपूर्व सैनिक जिनकी सेवानिवृत्ति एक वर्ष के भीतर होने वाली हो।

	आमेलन : स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में आमेलन के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हताएं निम्न हैं– (क) मान्यता–प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अथवा समतुल्य उत्तीर्ण, (ख) उसके मूल संवर्ग में अथवा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति के दौरान कोई बड़ा दंड न दिया गया हो, (ग) मूल संगठन अथवा विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र, व (घ) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में दो वर्ष का सेवा–अनुभव। **टिप्पण–1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग–बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण–2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
1. **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे :–** (1) उप निदेशक (प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो –सदस्य (3) अवर सचिव, आईएस–II प्रभाग, गृह मंत्रालय – सदस्य (4) सहायक कमाडेंट, केन्द्रीय अर्धसैनिक बल – सदस्य 2. **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे :–** (1) उप निदेशक (प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – सदस्य (3) आईएस–II प्रभाग,गृह मंत्रालय, से अवर सचिव – सदस्य (4) सहायक कमाडेंट, केन्द्रीय अर्धसैनिक बल – सदस्य	आवश्यकता नहीं है तथापि प्रतिनियुक्ति और आमेलन के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति आवश्यक है।

[फा. सं. I.-12014/40/2017–एन सी बी–II]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2018

G.S.R. 477(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau Sepoy Recruitment Rules, 2010, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sepoy, Narcotics Control Bureau under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau (Sepoy) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sepoy	245*(2018) * Subject to variation dependent on the workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	Level-1 (Rs.18000-56900).	Not applicable.	Between 18 and 25 years (Relaxable for departmental candidate up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential: Matriculation or equivalent pass from a recognised board. **Physical Standard:** **Height:** For Male-170 centimeters; For Female-157 centimeters; **Chest:** for male— Unexpanded—80 centimeters; Expanded—Minimum expansion 5 centimeters;	Educational Qualification and Medical Standards are applicable . The age-limit shall be forty years.	Two years.

Note:- There shall be no minimum requirement of chest in case of female candidate. Weight: For males and females candidates: Proportionate to height and age as per medical standards. **Medical Standard:** (1) Eye Sight: The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of two eyes without correction, i.e. without wearing of glasses. (2) The candidate must not have knock knee, flat foot, bow legs, varicose vein, squint in eyes, any loss of part of body and they should possess high colour vision. (3) They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties. **The Physical Efficiency Test:** **Male Candidates:—** (a) Five kilometers race to be completed within 24 minutes; (b) 11 feet long jump(three chances to be given); (c) 3-1/2 feet high jump(three chances to be given); **Female Candidates:—** (a) 1.6 kilometer race to be completed within 8.3 minutes; (b) 9 feet long jump (three chances to be given); (c) 3 feet high jump (three chances to be given); **Relaxation:** (i) Minimum height for men belonging to hill areas of Garhwal, Kumaon, Himachal Pradesh, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies, Leh and Ladakh, Kashmir Valley and North Eastern States shall be 165 centimeters. For female, the minimum height shall be 155 centimeters. The minimum height for candidates belonging to Scheduled Tribes shall be 162.5 centimeters for males and 150 centimeters for females. (ii) Chest—Relaxation in chest is applicable to only the Scheduled Tribes and hill people. The minimum chest for this category of personnel is as under:— (i)Men belonging to hill areas specified as above 78 to 83 centimeters. (ii)Scheduled Tribes of all States and union territories administrations: 76 to 81 centimeters. The power to relax any of the eligibility criteria as mentioned above will rest with the Director General of the Narcotics Control Bureau.		

(124)

Note: The medical and physical standards are as per the instructions of the Government of India prescribed for direct recruitment of constables in Central Para Military Forces.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
80% by direct recruitment failing which by deputation or re-employment from Ex-serviceman; 15% by deputation or absorption failing which by direct recruitment; and 5% by re-mustering from eligible Group C staff in level-1 in the pay matrix Rs.18000-56900, failing which by deputation.	**Re-mustering:** From amongst the Group 'C' staff of the Narcotics Control Bureau in level-1 in the pay matrix Rs.18000-56900 and minimum three years of service. **Deputation:** Personnel of Central Government or State Government having three years of regular service in the grade ; Or Ex-servicemen within one year of retirement. **Absorption:** The following basic minimum qualifications are necessary for absorption in the Narcotics Control Bureau:— (a) pass in matriculation or equivalent from a recognised board; (b) no major punishment in his parent cadre or during his deputation in the Narcotics Control Bureau has been awarded; (c) no objection certificate from the parent organization or department; and (d) a minimum experience of serving in the Narcotics Control Bureau for two years. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) consisting of : (1) Deputy Director (Administration), Narcotics Control Bureau -Chairperson (2) Assistant Director, Narcotics Control Bureau -Member (3) Under Secretary from IS-II Division, Ministry of Home Affairs -Member (4) Assistant Commandant, Central Para Military Force -Member	Not required. However, MHA permission is required for deputation and absorption.

(123)

2. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of : (1) Deputy Director (Administration), Narcotics Control Bureau - Chairperson (2) Assistant Director, Narcotics Control Bureau - Member (3) Under Secretary from IS-II Division, Ministry of Home Affairs - Member (4) Assistant Commandant, Central Para Military Force - Member	

[F. No I-12014/40/2017-NCB-II]

MUKESH MITTAL, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.05.26 12:56:40 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.